कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, गोण्डा ।

-: सार्वजनिक नीलामी सूचना :-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 (दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक के लिए) जनपद न्यायालय परिसर के भीतर निम्नलिखित दूकानों के ठेकों की नीलामी दिनांक 30.03.2018 को अपरान्ह 01:00 बजें श्री आर0पी0 सिंह, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0 कक्ष संख्या-2, गोण्डा/अध्यक्ष नीलामी समिति ,के समक्ष की जायेगी । नीलामी की कार्यवाही की सामान्य शर्तें निम्नलिखित होंगीः-

1. प्रत्येक बोली बोलने वाले को अनिवार्य होगा कि वह अपने बोली पर स्थिर रहे तथा अपने बोली के अनुरूप अपने-अपने हैसियत प्रमाण पत्र सम्बन्धित तहसीलदार से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करे । यह प्रमाण पत्र बोली बोलने से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

2. बोली बोलने के पूर्व उसे चाय नमकीन व फोटो/फोटो स्टेट की दूकानों के लिए बीस-बीस हजार रूपयें तथा बीटल शाप की दूकान के लिए दस-दस हजार रूपये जमानत के रूप में अग्रिम जमा होगा । बिना अग्रिम धनराशि जमा किये हुए कोई व्यक्ति बोली बोलने का पात्र नहीं होगा । चाहे वह हैसियत प्रमाण पत्र क्यों न प्रस्तुत करें ।

3. चाय नमकीन की दूकान के ठेकेदार खाद्य पदार्थो में किसी ऐसे पदार्थ का प्रयोग नहीं करेगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो ।

4. बोली अन्तिम रूप से स्वीकार होने की दशा में उसकी बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत बोली स्वीकृत होने के पश्चात् एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा । अन्तिम बोली स्वीकार होने की दशा में सम्बन्धित ठेकेदार को 100 रूपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध भी करना होगा । यदि अन्तिम रूप से स्वीकृत बोली का 25 प्रतिशत धनराशि ठेकेदार द्वारा स्वीकृति के एक सप्ताह के अन्दर जमा नहीं की जायेगी तो जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और बोली पुनः कराई जायेगी ।

5. किसी भी बोली को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार जनपद न्यायाधीश महोदय गोण्डा को होगा । बिना बोली बोलने वाला व्यक्ति कारण जानने का पात्र नहीं होगा ।

6. प्रत्येक बोली बोलने वाला व्यक्ति जिसकी बोली अन्तिम रूप से स्वीकृत होगी वह अपनी दूकान जनपद न्यायालय परिसर की सीमा के अन्तर्गत निर्दिष्ट स्थान पर लगायेगा । किसी ठेकेदार को स्वीकृत दूकान के अतिरिक्त अन्य दूकान खोलने का कोई अधिकार नहीं होगा तथा अपनी दूकान की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उसका स्वंय का होगा ।

7. स्वीकृत दूकान पर दूकानदार स्वंय बैठकर दूकान का संचालन करेगा । यदि दूकानदार अपनी दूकान अन्य व्यक्ति से संचालित कराता है तो उसे उस व्यक्ति के नियुक्ति के उपरान्त उससे दूकान संचालित कराये जाने के पूर्व उसका नाम पता कार्यालय में अवगत् कराना आवश्यक होगा । इस सम्बन्ध में चाय नमकीन आदि की दूकानों की बिकी करने वाले कर्मचारियो को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

8. कोई ठेकेदार अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति जनपद न्यायालय परिसर में सांय 7-00 बजे से प्रातः 9-00 बजे के मध्य नहीं रूकेगा ।

9. जनपद न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश महोदय के पूर्व अनुमति के बिना कोई ठेकेदार अथवा कोई व्यक्ति किसी प्रकार की कोई दूकान नहीं लगायेगा ।

10. जिस व्यक्ति के जिम्मे पूर्व से नीलामी का धनराशि बकाया होगा उसको बोली बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

11. चाय नमकीन की दूकान पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, प्रभारी अधिकारी नजारत अथवा केन्द्रीय नाजिर द्वारा अधिकृत कोई कर्मचारी समय-समय पर खाद्य सामग्री का परीक्षण कर सकेगें । विपरीत परिस्थितियोंवश ठेका तत्काल निरस्त किया जा सकता है ।

12. किसी भी तरह के विवाद का क्षेत्र जनपद न्यायालय गोण्डा होगा ।

24/3/18	24-3-18	24-3-18
(श्री जयहिन्द कुमार सिंह) सदस्य, नीलामी समिति, सिविल जज (जू0डि0), गोण्डा।	(श्री अरविन्द कुमार गौतम) सदस्य, नीलामी समिति, सिविल जज (सी0डि0), गोण्डा।	(श्री आर0पी0 सिंह), अध्यक्ष, नीलामी समिति, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0, कक्ष सं0-2, गोण्डा।

दूकानों का विवरण
नीलामी का दिनांक 28-03-2018

1. चाय नमकीन दूकान नं0-1 मेन ब्लाक के दाहिने तरफ दक्षिण पूर्व कोने पर गेट के पास ।
2. चाय नमकीन दूकान नं0-2, मेन ब्लाक के पीछे ।
3. चाय नमकीन दूकान नं0-3, दस कक्षीय न्यायालय भवन के सामने ।
4. बीटल शाप नं0- 1 होटल सं0- 1 के बगल ।
5. बीटल शाप नं0- 2 होटल सं0- 2 के बगल ।
6 बीटल शाप नं0- 3 होटल सं0- 3 के बगल ।
7. फोटो/फोटो स्टेट दूकान मेन ब्लाक के पीछे ।